

कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की लगभग 11,000 प्रजातियों के साथ समृद्ध जैवविविधता का दावा करने वाले मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में [जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UNCBD\)](#) के तहत एक समझौते, पहुँच और लाभ साझाकरण पर [नागोया प्रोटोकॉल](#) को अपनाया है।

- नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा देना है।

कैमरून को नागोया प्रोटोकॉल अपनाने की क्या आवश्यकता थी?

- पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण:
 - दवाओं के निर्माण अथवा फसल उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और रोगाणुओं में पाए जाने वाले **कैमरून के आनुवंशिक संसाधनों अथवा आनुवंशिक जानकारी को पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण माना जाता है। पारंपरिक ज्ञान से तात्पर्य उस समझ, आविष्कार तथा तरीकों से है जो स्वदेशी एवं स्थानीय समुदायों ने इन संसाधनों के संबंध में विकसित की है।**
- बायोपाइरेसी को रोकना और संसाधनों को समान रूप से साझा करना:
 - बायोपरोस्पेक्टिंग (जैव-संभावना) हेतु दवाओं, भोजन या अन्य उत्पादों के नए स्रोतों के लिये **जैविक सामग्री की खोज आनुवंशिक संसाधन तथा पारंपरिक ज्ञान दोनों के लिये लाभदायक है।** जैवविविधता के सतत् उपयोग और संरक्षण को बायोपरोस्पेक्टिंग द्वारा भी सहायता प्रदान की जा सकती है। **उदाहरण के लिये:**
 - **प्रूनस अफ्रीकाना**, जो कि कैमरून का स्थानीय पौधा है, का **उपयोग प्रोस्टेट कैंसर की दवाएँ बनाने के लिये** किया जाता है, लेकिन वैदेशी कंपनियों इसका एक क्लोनोग्राम 2.11 अमेरिकी डॉलर में खरीदती हैं और इससे बनी दवाएँ 405 अमेरिकी डॉलर में बेचती हैं।
 - **कैमरून का बुश मँगो** औषधीय गुणों से भरपूर है। जिसकी पत्तियों, जड़ों एवं छाल का **उपयोग दर्दनविरक के रूप में** किया जाता है। इस फल ने यूरोपीय फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है।
- स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाना:
 - जनि कसबों में पौधे एकत्रित किये गए थे, उन्हें फरमों के राजस्व से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
 - नागोया प्रोटोकॉल को अपनाने से **जैवविविधता पर आधारित नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वदेशी तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने में सहायता प्राप्त होती है।**



//

UNCBD के तहत नागोया प्रोटोकॉल क्या है?

■ जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD):

○ CBD, जैवविविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:

- जैवविविधता का संरक्षण।
- जैवविविधता के घटकों का सतत् उपयोग।
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बँटवारा।

○ लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है (अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किये हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है)।

- भारत ने CBD के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये 'जैवविविधता अधिनियम 2002' लागू किया।

○ CBD का सचवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है जो [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम](#) के तहत संचालित होता है।

○ जैविक विविधता अभिसमय के तहत पार्टियों (देश) नियमिति अंतराल पर मलित्ती हैं और इन बैठकों को **कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (Conference of Parties- COP)** कहा जाता है।

○ वर्ष 2000 में **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल** के रूप में ज्ञात अभिसमय के लिये एक पूरक समझौता अपनाया गया था।


- यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है।

■ नागोया प्रोटोकॉल:

○ नागोया प्रोटोकॉल (COP10) को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत

बँटवारा के लिये नागोया, जापान में COP10 में अपनाया गया था।

- यह न केवल CBD द्वारा कवर किये गए आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि CBD द्वारा कवर किये गए आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान (TK) तथा इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर भी लागू होता है।
- आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल के साथ, COP-10 ने जैवविविधता को बचाने के लिये सभी देशों द्वारा कार्रवाई हेतु दस वर्ष की रूपरेखा को भी अपनाया।
 - आधिकारिक तौर पर "वर्ष 2011-2020 के लिये जैवविविधता रणनीतिक योजना" के रूप में जाना जाता है, इसने 20 लक्ष्यों का एक सेट प्रदान किया, जिसे सामूहिक रूप से [जैवविविधता हेतु आइची लक्ष्य \(Aichi Targets for Biodiversity\)](#) के रूप में जाना जाता है।
 - जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) के दौरान [कूनमिगि-मॉन्टरियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क \(GBF\)](#) का अंगीकरण किया गया।
 - इस फ्रेमवर्क में वर्ष 2050 तक हासिल करने हेतु चार लक्ष्य तथा वर्ष 2030 के लिये निर्धारित तेईस लक्ष्य शामिल हैं।



जैवविविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वाँ सम्मेलन (CBD COP 15)



- जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD) 1993 - जैवविविधता के संरक्षण के लिये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
- CBD के पक्षकारों का सम्मेलन अभिसमय का शासी निकाय है

पक्षकारों का सम्मेलन-COP

COP 1 (1994)

- नसाऊ, बहामास
- 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया

EXCOP 1

- UN CBD COP की पहली विशेष बैठक
- कार्टाजेना, कोलंबिया (फरवरी 1999) और मॉन्ट्रियल, कनाडा (जनवरी 2000)
- जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया

COP 8 (2006)

- कुर्तीबा, ब्राजील
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 2 (वर्ष 2001 में GBO 1)

COP 5 (2000)

- नैरोबी, केन्या
- UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में अपनाया

COP 10 (2010)

- नागोया, जापान
- नागोया प्रोटोकॉल (अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभों का समुचित एवं समान साझाकरण) को अपनाया गया
- जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-20 और आइची जैवविविधता लक्ष्य
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 3

COP 6 (2002)

- हेग, नीदरलैंड्स
- ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव, ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन को अपनाया गया

COP 11 (2012)

- हैदराबाद, भारत

COP 14

- शर्म अल शेख, मिस्र

COP 15

चरण-I

- कुनमिंग, चीन में आयोजित किया गया (अक्तूबर 2021)
- थीम- पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिये एक साझा भविष्य का निर्माण (Ecological Civilization% Building a Shared Future for All Life on Earth)
- कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड

चरण-II

- मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया
- 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (Post 2020 Global Biodiversity Framework)- 4 लक्ष्य तथा 23 उद्देश्य, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है
- 30 इल 30 लक्ष्य- 2030 तक स्थलीय, आंतरिक और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना
- किसी भी देश ने अपनी सीमाओं के भीतर सभी 20 आइची लक्ष्यों (जो 2020 में समाप्त हुए) को पूरा नहीं किया

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018)

- (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- (b) UNEP सचिवालय
- (c) UNFCCC सचिवालय
- (d) विश्व मौसमविज्ञान संगठन

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification)' का/के क्या महत्त्व है/हैं? (2016)

1. इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
2. यह विशेष/वशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है।
3. यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम (बॉटम-अप अप्रोच) के लिये प्रतबिद्ध है।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत में जैवविविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतजात और प्राणीजात के संरक्षण में जैवविविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)

प्रश्न. 'पर्यावरणीय नैतिकता' से क्या तात्पर्य है? इसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे की विवेचना कीजिये। (2015)